



प्रेस विज्ञप्ति



यातायात प्रबन्धन में विद्यार्थियों की सहभागिता कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर स्थित गांवों में यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम

दिनांक:-29.03.2025

श्रीमान राजेन्द्रसिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार श्री अमित जैन पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर श्री दुर्गराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर के सुपरविजन में 59वें महानिदेशक/महानिरीक्षक पुलिस सम्मेलन 2024 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार द्वारा निर्देशित सिफारिशों की पालना में 10वीं से 12वीं तक के स्कूली बच्चों को पुलिस के साथ यातायात प्रबन्धन करने हेतु सीमित समय के लिए लगाया जाने से न केवल स्कूली बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराया जा सकेगा, बल्कि यातायात के परिणामस्वरूप भी होगा, की क्रियान्विति के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग जोधपुर से समन्वय स्थापित कर गत तीन दिनों में घण्टाघर चौराहा, पांचवी रोड़ चौराहा व बारहवी रोड़ चौराहा पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महिलाबाग जोधपुर, तथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लाला लाजपतराय कॉलोनी जोधपुर के विद्यार्थियों को यातायात नियमों को बताते हुए चौराहों पर प्रायोगिक तौर से यातायात प्रबन्धन के बारे में जानकारी दी साथ ही उपरोक्त चौराहों पर यातायात जागरूकता हेतु रैली निकाल कर सड़क सुरक्षा संदेश दिया।

यातायात जागरूकता के इसी क्रम में आज दिनांक 29.03.2025 को जोधपुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर स्थित गांव रामपुरा भाटियान एवं मथानिया में संबंधित क्षेत्राधिकार पुलिस थाना मथानिया से समन्वय स्थापित कर यातायात शिक्षा टीम द्वारा यातायात शिक्षा मोबाईल वैन के माध्यम से यातायात नियमों की पीपीटी तथा हेलमेट लघु फिल्म दिखाकर यातायात शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए सड़क दुर्घटनाएं व इनसे होने वाली मौतों के वर्षवार आंकड़े बताते हुए इसमें कमी लाने हेतु समझाईश के साथ अपील की गई। ग्रामीणजनों को हेलमेट लगाने, सीटबेल्ट लगाने, निर्धारित गति से तेज नहीं चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात नहीं करने, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने, नशा करके वाहन नहीं चलाने तथा नाबालिग को वाहन नहीं चलाने की विशेष समझाईश की। मृत्यु के प्रमुख कारणों में पालतू/आवारा पशुओं के सड़क पर आने के कारण होने वाली दुर्घटना से मालिकों को इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी दी गई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पालतु पशु मलिकों व ग्रामीण आमजन को पशुओं को सड़कों पर से हटाने के आवश्यक उपाय करने बाबत समझाईश के साथ पशुओं के सीगों पर लगाने के लिए रिफ्लेक्टर दिये जाकर यातायात नियमों के पेंप्लेट वितरित किये गये।

आमजन व वाहन चलकों को सड़क पर चढ़ते व उतरते समय व सड़क को पार करते समय रखी जाने वाली सावधानियों तथा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरन्त अस्पताल पहुंचाने व त्वरित मदद करने वाले गुड सेमेरिटन (अच्छे मददगार) के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों एवं “मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना” के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा समस्त आमजन से अपील की जाती है कि अपना वाहन यातायात नियमों की पूर्ण पालना करते हुए चलायें।

(अमित जैन)

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय
एवं यातायात आयुक्तालय जोधपुर





